राजनीति विज्ञान

अध्याय-10: संविधान का राजनितिक दर्शन

10 संविधान का राजनितिक दर्शन

संविधान के दर्शन का आशय:

संविधान के दर्शन से आशय संविधान में उल्लेखनीय देश के मूल्य व आदर्शो से है जैसे भारतीय संविधान स्वतंत्राता, समानता, लोकतंत्र, समाजिक न्याय आदि के लिए प्रतिबद्ध है। इस सबके साथ उसके दर्शन को शांतिपूर्ण तथा लोकतांत्रिक तरीके से अमल किया जाये। भारतीय संविधान में' धर्मनिरपेक्षता, अल्प संख्यकों के अधिकारों का सम्मान, धर्मिक समूहों के अधिकार सार्वभौम मताधिकार, संघवाद आदि का भी समावेश हुआ है संविधान के दर्शन का सर्वोत्तम सार-संक्षेप संविधान की प्रस्तावना में वर्णित है।

संविधान राजनीतिक दर्शन का आशय

1. इसका अभिप्राय यह है की संविधान एक कानूनी दस्तावेज होते हुए भी नैतिक मूल्यों से जुड़ा है।
2. कानून और नैतिक मूल्यों के बीच गहरा सम्बन्ध है। इस बात की जानकारी संविधान के राजनीतिक दर्शन से ही ज्ञात होती है।
3. संविधान में व्यवहार किये गए पदों जैसे अधिकार, नागरिकता, अल्पसंख्यक अथवा लोकतंत्र के संभावित अर्थ की जानकारी या उसमे बदलाव संविधान के राजनीतिक दर्शन के द्वारा ही समझा जा सकता है।
4. संविधान के बुनियादी अवधारणा को समझने के लिए भी इसकी आवश्यकता पड़ती है।
5. इसमें में अन्तर्निहित नैतिक तत्वों को जानने के लिए और उसके दावों के मुल्यांकन के लिए इसके के प्रति राजनीतिक दर्शन का नजरिया अपनाने की जरूरत है।

संविधान के राजनितिक दर्शन के लोकतान्त्रिक बदलाव होने के कारण निम्न है -

1. यह सत्ता को निरंकुश होने से रोकता है।
2. संविधान बल प्रयोग और दंड शक्ति पर राज्य के एकाधिकार की सीमा तय करता है।
3. संविधान गहरे सामाजिक बदलाव के लिए शांतिपूर्ण और लोकतान्त्रिक साधन प्रदान करता है।
4. इस नजरिये में संवैधानिक लोकतंत्र के सिधांत को पूरी तरह से बदलकर रख देने की क्षमता है।
5. व्यक्ति की स्वतंत्रता
6. संविधान में व्यक्तियों को बहुत से अधिकार दिए गए है जो व्यक्तियों को आत्म सम्मान के साथ जीवन व्यतीत करने में सहायक है।

संविधान के अनुसार निम्न अधिकार व्यक्ति की स्वतंत्रता को परिभाषित करते है:

- अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता
- मनमानी गिरफ्तारी के विरुद्ध स्वतंत्रता।

- प्रेस में अपने विचार रखे की स्वतंत्रता।

भारतीय संविधान की विशेषताएँ:

1. भारतीय संविधान लिखित है। जिसमें कठोर व लचीलेपन का मिश्रण है।
2. भारतीय संविधान विस्तृत संविधान है।
3. भारतीय संविधान संघात्मक संविधान है जिसमें एकात्मक शासन के लक्षण छिपे है।
4. भारतीय संविधान में प्रस्तावना के साथ स्वतंत्राता समानता व लोकतांत्रिक गणराज्य का समावेश है|
5. भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार मौलिक कर्तव्य व राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत' भी लिखे है आदि।

संविधान की आलोचना के बिन्दु:

1. संविधान कसा हुआ दस्तावेज न होकर अस्त व्यस्त है।
2. संविधान में सबकी नुमाइंदगी नही हो सकी है।
3. भारतीय परिस्थितियां के अनुकुल नही है।
4. संविधान में विश्व के अन्य संविधानों से उधार लिये गये प्रावधन है, अर्थात अन्य देशों की संविधान से नक़ल की गयी है|

भारतीय संविधान के पक्ष में तर्क:

1. यदि हम इन अलोचनाओं पर विचार करे तो इनमें बहुत अधिक सत्यता नहीं पाते हैं। इस बात की बहुत संभावना हर संविधान में रह सकती है कि कुछ व्यतव्य व ब्यौरे संविधान से बाहर रह जाये।
2. भारतीय संविधान सभा में अधिकतर अगड़ी जाति से संबंधित सदस्य थे किंतु फिर भी भीमराव अम्बेडकर की जन्मतिथि को त्यौहार समान बनाने वाले तबके भी समाज में है| इससे स्पष्ट होता हैं कि संविधान में उनकी अनेक आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति हुई है।
3. संविधन निर्माताओं के मन में परम्परागत भारतीय व पश्चिमी मूल्यों के स्वरूप मेल का भाव था। यह संविधान सचेत चयन का परिणाम है न कि नकल का|
4. इससे एक और महत्वपूर्ण बात हमारे संविधान निर्माताओं की उन गहरी सोंच की मिलती है कि उन्होंने ने दूसरों की अच्छाइयों को भी अपने संविधान में जगह दी है|

भारतीय संविधान की सीमाएँ:

भारत का संविधान हर तरह से पूर्ण व त्रुटिहीन दस्तावेज है। ऐसा भी नहीं है।

संविधन की कुछ निम्न सीमाएं है-

1. भारतीय संविधान में राष्ट्रीय एकता की धरणा बहुत केन्द्रीकृत है।
2. इसमें लिंग गत न्याय के कुछ महत्वपूर्ण मसलों खासकर परिवार से जुड़े मुद्दो पर ठीक से ध्यान नहीं दिया गया है।
3. एक गरीब व विकासशील देश में कुछ बुनियादी सामाजिक आर्थिक अधिकारों को मौलिक अधिकारों के बजाय राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में डाला गया है जो न्याय परक नही है।

संविधान सभा बनाने की पहली माँग:

संविधान सभा बनाने की पहली बार माँग जवाहर लाल नेहरु ने उठाई थी| उन्होंने ने एक लंदन से प्रकाशित होने वाले अखबार "डेलीहेराल्ड" में प्रकाशित एक लेख से की थी| उन्होंने कहा, "इस संघर्ष का राजनितिक समाधान तभी हो सकता है जब भारत के लोग एक निर्वाचित संविधान द्वारा स्वयं अपना संविधान बनाए"| धीरे-धीरे संविधान सभा बनाने की यह मांग राष्ट्रीय माँग बन गयी|

उदारवाद की मान्यता:

उदारवाद की मान्यता है कि समाज के सभी वर्गों को स्वतंत्र, सृजनशील और सक्रीय जीवन जीना चाहिए| अर्थात उदारवाद समाज के सभी वर्गों की स्वतंत्रता, बचने बढ़ने का सुअवसर देता है|

संविधान की उदारवाद (liberalism) होने का तात्पर्य:

संविधान का उदारवाद होने का तात्पर्य है सामाजिक न्याय से है, हमारा संविधान सामाजिक न्याय से जुड़ा हुआ है| भारतीय समाज के कुछ वंचित लोग जिनके साथ सदियों से अन्याय हुआ है उससे मुक्ति के लिए हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान में उनके हितों के लिए कुछ उदारवाद नीतियाँ अपनाई जैसे - कुछ विशेष तबके के लिए विधायिका के सीटों में आरक्षण, उनके लिए नौकरियों में आरक्षण आदि| यह प्रक्रिया संविधान का उदारवाद होना दर्शाता है|

भारतीय संविधान का उदारवाद होने का उदाहरण:

(अ) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लिए आरक्षण का प्रावधान|

(ब) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लिए विधायिका में सीटों का आरक्षण|

(स) सरकारी नौकरियों में इन वर्गों को आरक्षण देना|

1. समाजिक न्याय के सन्दर्भ में भारतीय संविधान की विशेषताएँ :
2. भारतीय संविधान समुदायों के बीच बराबरी के रिश्ते को बढ़ावा देता है|

3. हमारा संविधान सामाजिक न्याय से जुड़ा है|
4. हमारा संविधान उदारवाद है|
5. हमारा संविधान लोगों की हितों की रक्षा करता है|

लोकतंत्र में संविधान का महत्व:

1. बिना संविधान के हम लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की कल्पना भी नहीं कर सकते है|
2. लोकतंत्र में संविधान का बहुत ही महत्त्व है जो निम्नलिखित है -
3. यह सरकारी शक्तियों पर अंकुश लगाने का साधन है|
4. यह योजनाबद्ध तरीके से बदलाव लाने का एक साधन है|
5. यह समाज के शोषित असहाय एवं अल्पसंख्यक के हितों की रक्षा करता है|
6. यह दीर्घकालिक उदेश्य को क्रिन्यान्वित करने का एक साधन है|
7. यह क्रांति या आन्दोलन के खतरे को कम करता है|
8. यह राज्य को निरंकुश होने से रोकता है|
9. जो लोग परंपरागत तौर पर सत्ता से दूर रहे हैं उनका सशक्तिकरण भी करता है|
10. कमजोर लोगों को उनका वाज़िब हक सामुदायिक रूप में हासिल करने की ताकत देता है|

पारस्परिक निषेध:

पारस्परिक निषेध (mutual exclusion) शब्द का अर्थ होता है - धर्म और राज्य दोनों एक-दूसरे के अंदरूनी मामले से दूर रहेंगे। राज्य के लिए शरूरी है कि वह धर्म के क्षेत्र में हस्तक्षेप न करे। ठीक इसी तरह धर्म को चाहिए कि वह राज्य की नीति में दखल न दे और न ही राज्य-संचालन को प्रभावित करे। दूसरे शब्दों में, पारस्परिक-निषेध का अर्थ है कि धर्म और राज्य परस्पर एकदम अलग होने चाहिए।

धर्म और राज्य को एकदम अलग रखने का उदेश्य:

1. इसका मुख्य उदेश्य है व्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा|
2. धार्मिक संगठन व्यक्ति के धार्मिक जीवन का नियंत्रण करने लगते हैं|
3. व्यक्ति की धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए जरुरी है कि राज्य धार्मिक संगठनों की सहायता न करे |

सामाजिक न्याय

भारत का संविधान उदारवादी कहा जाता है। यह शाश्त्रीय उदारवाद से भिन्न है। भारत में वर्षो से दबे कुचले वर्गों के उद्धार के लिए संविधान में विशेष व्यवस्था की गयी। निम्न प्रावधानों से यह ज्ञात होता है की भारतीय संविधान सामाजिक रूप से न्यायपूर्ण है :

1. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए विधायिका में आरक्षण की व्यवस्था की गयी है
2. इनको सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया गया है।
3. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगो को उच्च शैक्षणिक संस्थानों में दाखिला लेने के लिए भी आरक्षण प्राप्त है।
4. इसके आलावा इनको आर्थिक सहायता भी दी जाति है।

विविधता और अल्पसंख्यकों के अधिकारों का सम्मान

हमारे देश में विभिन्न प्रकार के समुदाय रहते है और इनमे अक्सर बराबरी का रिश्ता देखने को नहीं मिलता है। यहाँ समुदायों के बीच ऊंच नीच की भावना बनी रहती है।

इसमे ऊंच नीच की भावना को समाप्त करने के लिए संविधान ने कुछ समुदायों को आरक्षण दिया है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति इसका एक उदहारण है।

इसके साथ ही यहाँ विभिन्न प्रकार के धर्म के लोग , अलग अलग भाषा बोलने वाले , विभिन्न रीती रिवाजों को मानने वाले लोग रहते है। इनमे परस्पर प्रतिद्वंदिता न हो और धार्मिक सौहार्द बना रहे इसके लिए संविधान ने विभिन्न समुदायों को मान्यता प्रदान की है।

भारत के संविधान में धर्मनिरपेक्षता

धर्म निरपेक्षता का आशय यह है की संविधान में किसी भी धर्म को न तो मान्यता दी गयी है और न ही उस पर कोई प्रतिबन्ध लगाया गया है।

इस सिधांत के अनुसार धर्म और राज्य दोनों अलग अलग रहेंगे।

न तो धर्म राज्य के अन्दुरुनी मामलों में हस्तक्षेप करेगा और न राज्य या सरकार धर्म के आतंरिक मामलों में हस्तक्षेप करेगी।

इसका उद्देश्य व्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा करना है। माना गया है की राज्य को व्यक्ति के अधिकारों की सुरक्षा करनी चाहिए चाहे वह किसी भी धर्म का हो।

सार्वभौम मताधिकार

- एक निश्चित न्यूनतम आयु वर्ग वाले सभी भारतीय नागरिकों को मतदान देने का अधिकार (बिना किसी भेदभाव , जाति , धर्म और लिंग के आधार पर) सार्वभौम मताधिकार कहलाता है।
- प्रारम्भ में यह आयु 21 वर्ष की गयी थी परन्तु बाद में इसे घटाकर 18 वर्ष कर किया गया।

संघवाद

1. एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसमे देश में दो सरकारे होती है। पहली शक्तिशाली केन्द्रीय सरकार और दूसरी राज्य सरकार जो प्रत्येक राज्य में होती है ।
2. केन्द्रीय सरकार पूरे देश के शासन की बागडोर संभालती है। देश और राज्य के विदेश मामले और सुरक्षा से सम्बंधित सभी विषय केन्द्रीय सत्ता के पास होते है।
3. इसके आलावा केन्द्रीय सरकार को कुछ विशेष शक्तियां भी प्राप्त है जिससे वह राज्य के मामलों में हस्तक्षेप भी कर सकती है।
4. भारतीय संविधान विदेशों के मुकाबले असमतोल है। यहाँ कुछ राज्यों को विशेष दर्जा प्राप्त है जैसे जम्मू और कश्मीर तथा नागालैंड को क्रमशः अनुच्छेद 370 और 371 के अंतर्गत विशेष दर्जा प्राप्त है।

राष्ट्रीय पहचान

भारत में राष्ट्रीय पहचान बहुत ही केंद्रीकृत है। यहाँ एक राष्ट्रीय पहचान पर जोर दिया गया है। चाहे वह किसी भी राज्य, जाति और भाषा से हो।

प्रक्रियागत उपलब्धियाँ

- संविधान सभा ने काफी विचार विमर्श कर ऐसे सविधान बनाने का निर्णय लिया जिसमे लगभग सभी समुदायों और लोगो की भागीदारी हो।
- भारत की संविधान सभा इस मुद्दे पर अडिग थी की किसी महत्पूर्ण मुद्दे पर फैसला बहुमत के वजाए सर्वानुमति से लिया जाये।

संविधान के आलोचना

1. भारतीय संविधान की कई आलोचनाएँ है। इनमे मुख्य निम्नलिखित है :
2. यह संविधान अस्त व्यस्त है।
3. इस संविधान में सबकी नुमाइंदगी नहीं हो सकी है।
4. यह संविधान भारतीय परिस्थितियों के अनुसार नहीं है।

5. यह विदेशी संविधानो की नक़ल है।

आलोचनाओं की सत्यता

1. किसी भी देश का संविधान पूर्ण नहीं होता है। समय के साथ साथ इसमें खामिया उजागर होती रहती है इसलिए भारतीय संविधान भी उसका एक हिस्सा है।
2. दलित लोगो ने इसी संविधान का सहारा लेकर अपने जमीदारो के खिलाफ अपने ऊपर हो रहे अन्याय पर मुक़दमा दायर किया और न्याय भी प्राप्त किया।
3. भारत में परिस्थितियां एनी देशों से भिन्न है क्योकि यहाँ अनेक जाति और धर्म के लोग निवास करते है। इसलिए यहाँ अन्य देशो से भिन्न संविधान की जरूरत पड़ी।

सीमाएँ

1. भारतीय संविधान में राष्ट्रीयता एकता के धारणा बहुत केंद्रीकृत है।
2. इसमे लिंगगत न्याय के कुछ महत्वपूर्ण मसलों खासकर परिवार से जुड़े मुद्दों पर ठीक से ध्यान नहीं दिया गया है।
3. गरीब और विकासशील देश में सामाजिक – आर्थिक कुछ बुनियादी अधिकारों को मौलिक अधिकारों में न डालकर राज्य के नीति निर्देशक तत्व वाले खंड में दल किया गया है।